

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 137 : ¹[**]**

Explanation—For the purposes of this Chapter,

- ²(a) “Authority” means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;]
- (b) “Committee” means the Standing Committee on Anti-profiteering constituted by the Council in terms of sub-rule (1) of rule 123 of these rules;
- (c) “interested party” includes
- a. suppliers of goods or services under the proceedings; and
 - b. recipients of goods or services under the proceedings;
- ³[c. any other person alleging, under sub-rule (1) of rule 128, that a registered person has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.]
- (d) “Screening Committee” means the State level Screening Committee constituted in terms of sub-rule (2) of rule 123 of these rules.

1 Rule 137 omitted by Noti. No. 24/2022–Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022. Earlier to omission it read as under:

“Rule 137 : Tenure of Authority

The Authority shall cease to exist after the expiry of ^A[five years] from the date on which the Chairman enters upon his office unless the Council recommends otherwise.”

A Earlier substituted for ^B“[four years]” by Noti. No. 37/2021–Central Tax, dt. 01-12-2021 w.e.f. 30-11-2021.

B Earlier substituted for “two years” by Noti. No. 33/2019–Central Tax, dt. 18-07-2019.

2 Clause (a) substituted by Noti. No. 24/2022–Central Tax, dt. 23-11-2022 w.e.f. 01-12-2022. Earlier it read as under,

“(a) “Authority” means the National Anti-profiteering Authority constituted under rule 122;”

3 Clause (c) inserted by Noti. No. 14/2018, dt. 23-03-2018 w.e.f. 23-03-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 137 : 1[.....]

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,

- 2[(क) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ख) "समिति" से नियम 123 के उपनियम (1) के निबंधनों में परिषद् द्वारा गठित मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "हितबद्ध पक्षकार" जिसके अंतर्गत-
- (क) कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्रदायकर्ता; और
- (ख) कार्यवाहियों के अधीन माल और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता;
- 3[(ग) नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है।]
- (घ) "छानबीन समिति" से नियम 123 के उपनियम (2) के निबंधनों में गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति अभिप्रेत है।

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा नियम 137 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "नियम 137 : प्राधिकरण की अवधि**
- परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से A[पांच वर्ष] के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे।
- A अधिसूचना क्रमांक 37/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.12.2021 द्वारा "B[चार वर्ष]" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.11.2021)
- B इसके पूर्व अधिसूचना क्रमांक 33/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा "दो वर्ष" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)
- 2 अधिसूचना क्रमांक 24/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.11.2022 द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.12.2022) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था
- "(क) "प्राधिकरण" से नियम 122 के अधीन गठित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अभिप्रेत है;"
- 3 अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।